विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-04/15

श्री राजेन्द्र अग्रवाल — आवेदक
प्रो. मेसर्स बसंत केटल फीड इण्डस्ट्रीज
ग्राम भादली, कसरावद रोड
खरगौन (म.प्र.)

विरूद्ध

प्रबंध संचालक — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
जीपीएच कम्पाउण्ड, पोलो ग्राउण्ड, इंदौर।

आदेश
(दिनांक 18.08.2015 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0288114 श्री राजेन्द्र अग्रवाल विरूद्ध प्रबंध संचालक, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. में पारित आदेश दिनांक 19.01.2015 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन 16.2.2015 प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में दर्ज प्रकरण क्रमांक एल00–04/14 में तर्क हेतु उभय पक्षों को दिनांक 17.8.2015 को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 उपरोक्त तिथि के पूर्व माननीय विद्युत नियामक आयोग से इस संबंध में पुष्टि की गई कि क्या आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 5.3 के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत किया है। आयोग सचिव द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1289/विनिआ/संचा.(वि.प्र.)/2015 दिनांक 21.7.2015 से आवेदक द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय आयोग को प्रस्तुत आवेदन विद्युत लोकपाल कार्यालय में भेजते हुए प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। अतः इस बाबत् आवेदक को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया तथा प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

04 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन दिनांक 30.12.2013 को दिया गया था तथा जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 2014 में उनके परिसर में पावर फैक्टर निर्धारित सीमा से कम दर्ज हुआ, जिसके कारण उनके ऊपर पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया जिसका कि भुगतान उनके द्वारा किया जा चुका है।

05 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015 तक की अवधि में उनके परिसर के पावर फैक्टर में सुधार कर निर्धारित सीमा या उससे अधिक स्तर पर लाया गया।

06 आयोग के टैरिफ आदेश वर्ष 2014–15 में सामान्य निबंधन की शर्तों की कंडिका 1.13(v) (a) (b) (c) के अनुसार यदि विद्युत उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन होने की तिथि के पहले 6 महिने में आए निम्न पावर फैक्टर को अगले 6 महिने में सुधार लिया जाता है तो उनसे वसूल की गई निम्न पावर फैक्टर सरचार्ज की राशि को वापस लेते हुए अगले माहों के विद्युत देयकों में समायोजन किये जाने का प्रावधान दिया गया। चूंकि आवेदक द्वारा कनेक्शन होने की तिथि के चौथे माह से ही निम्न पावर फैक्टर में सुधार करते हुए निर्धारित सीमा 0.9 से अधिक पावर फैक्टर मेंन्टेन किया है अतः उनके जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 2014 आरोपित किया निम्न पावर फैक्टर सरचार्ज को उनके अगले बिलों में समायोजन किया जाए।

07 उक्त तर्क के जबाव में अनावेदक द्वारा यह बताया गया कि चूंकि इन महिनों में आवेदक द्वारा निर्धारित संविदा भार से अधिक विद्युत का उपभोग किया गया अतः उनकी निर्धारित संविदा मॉग के अनुपात में ही आवेदक के ऊपर लगाया गया निम्न पावर फैक्टर सरचार्ज की राशि को वापिस कर उनके अगले माहों के बिलों में समायोजित कर दिया जाएगा।

:: निष्कर्ष ::

उपरोक्त तथ्यों, तर्कों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि –

(i) टैरिफ आदेश वर्ष 2014–15 में उल्लेखित सामान्य निबंधन की शर्तों की कंडिका 1.13(v) (a) (b) (c) के अनुसार आवेदक द्वारा माह जनवरी, फरवरी व मार्च, 2014 में दर्ज की किये गये निम्न पावर फैक्टर का चौथे माह से ही निर्धारित सीमा तक सुधार कर लिया गया तथा निरंतर अगले 6 माहों में पावर फैक्टर निर्धारित सीमा 0.9 से अधिक मेंनटेन किया गया।

(ii) इन प्रावधानों में इस बात का उल्लेख नहीं है कि यदि आवेदक द्वारा संविदा मॉग से अधिक विद्युत का उपभोग किया जाता है एवं इन माहों में निर्धारित सीमा से पावर फैक्टर कम दर्ज होता है तब उपभोक्ता द्वारा पावर फैक्टर में सुधार करने के पश्चात केवल स्वीकृत संविदा भार के अनुपात में वसूल की गई सरचार्ज की राशि का समायोजन किया जाए।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर चूंकि आवेदक द्वारा टैरिफ आदेश वर्ष 2014–15 में वर्णित सामान्य निबंधन एवं शर्तों की कंडिका 1.13(v) (a) (b) एवं (c) के प्रावधानों के अनुसार कनेक्शन होने की तिथि से चौथे महिने से पावर फैक्टर में सुधार कर लिया गया तथा लगातार अगले माहों में भी पावर फैक्टर निर्धारित सीमा से अधिक मेंनटेन किया है।

अतः आदेशित किया जाता है कि आवेदक से जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 2014 में निम्न पावर फैक्टर के विरूद्ध लिये गये सरचार्ज को वापस लेते हुए जमा की गई राशि का समायोजन आवेदक के अगले तीन माहों के विद्युत देयकों में किया जाए।

फोरम के आदेश को अपास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल